MODEL ANSWER

Q. Discuss the composition, functions, and powers of the National Human Rights Commission (NHRC) in India.

The National Human Rights Commission (NHRC) is an autonomous body established on 12th October 1993 under the Protection of Human Rights Act (PHRA). It ensures the protection and promotion of rights related to life, liberty, equality, and dignity as guaranteed by the Constitution and international covenants enforceable in Indian courts.

Composition

- **Structure:** The NHRC comprises a Chairperson, five full-time members, and seven ex-officio members.
- **Eligibility:** The Chairperson is either a former Chief Justice of India or a Supreme Court judge (post-2019 amendment).
- **Appointment and Tenure:** Members are appointed by the President on recommendations from a six-member high-level committee, with a tenure of three years or until the age of 70.

Functions and Powers

- Investigative Powers: The NHRC can investigate complaints of human rights violations, summon individuals, and utilize central or state investigation agencies.
- Advisory Role: It advises governments on legislative and administrative measures for protecting human rights.
- Judicial Authority: Equipped with powers akin to a civil court, it ensures the enforcement of its proceedings.
- Educational Role: The NHRC organizes awareness campaigns and promotes research on human rights.
- Monitoring Role: It monitors implementation of treaties and provides feedback to international human rights bodies.

Despite its pivotal role, the NHRC faces challenges such as non-binding recommendations, limited jurisdiction over armed forces, resource constraints, and political influence affecting its autonomy. Strengthening the NHRC requires granting it enforcement powers, diversifying its composition, addressing resource gaps, and expanding its jurisdiction to tackle emerging human rights concerns like AI and climate change. A proactive and empowered NHRC is essential for upholding India's commitment to human rights.

प्रश्न: भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की संरचना, कार्यों और शक्तियों पर चर्चा करें।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA) के तहत की गई थी। यह संविधान और भारतीय न्यायालयों में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों द्वारा गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करता है।

संरचना

- **संरचना:** NHRC में एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और सात पदेन सदस्य होते हैं।
- **पात्रता:** अध्यक्ष या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (2019 संशोधन के बाद) होते हैं ।
- **नियुक्ति और कार्यकाल:** सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है।

कार्य और शक्तियाँ

- **जाँच** की शक्तियाँ: NHRC मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जाँच कर सकता है, व्यक्तियों को तलब कर सकता है और केंद्रीय या राज्य जाँच एजेंसियों का उपयोग कर सकता है।
- **सलाहकार भूमिका:** यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विधायी और प्रशासनिक उपायों पर सरकारों को सलाह देता है।
- **न्यायिक प्राधिकरण:** सिविल न्यायालय जैसी शक्तियों से लैस, यह अपनी कार्यवाही के प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है।
- **शैक्षिक भूमिका:** NHRC जागरूकता अभियान आयोजित करता है और मानवाधिकारों पर शोध को बढ़ावा देता है।
- **निगरानी भूमिका:** यह विभिन्न संधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों को प्रतिक्रिया प्रदान करता है।

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, NHRC को गैर-बाध्यकारी अनुशंसाएँ, सशस्त्र बलों पर सीमित अधिकार क्षेत्र, संसाधनों की कमी और इसकी स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले राजनीतिक प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। NHRC को मज़बूत करने के लिए इसे प्रवर्तन शक्तियाँ प्रदान करना, इसकी संरचना में विविधता लाना, संसाधनों की कमी को दूर करना और AI और जलवायु परिवर्तन जैसी उभरती मानवाधिकार चिंताओं से निपटने के लिए इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना आवश्यक है। मानवाधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए एक सक्रिय और सशक्त NHRC आवश्यक है।